(17)

संख्या 4/1-2001-का-2-2001

प्रेषक,

डा० हरिकृष्ण,
सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।
2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2001

विषय :—आरक्षण के सम्बन्ध में विभिन्न जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-2

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 481/का-94-1-1-94, दिनांक 29 मार्च, 1994 का उपान्तर करके उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए रोस्टर सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 4/2-2001-का-2-2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 जारी कर दी गयी है। यह रोस्टर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर प्रयुक्त होगा। शासन के संज्ञान में विभिन्न स्तर से जिज्ञासायें की जाती रही हैं जिसके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट करनी है :—

(1) संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा अब आरक्षण की व्यवस्था संवर्ग में कुल पद पर आधारित है। आरक्षण की गणना संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों के अनुसार की जायेगी और तदनुसार आरक्षण अनुमन्य कराने हेतु सीधी भर्ती के लिए नवीन रोस्टर का अवलम्ब लिया जायेगा।

(2) आज की स्थिति में चूँकि आरक्षण की गणना संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों की संख्या के आधार पर की जायेगी अतएव कुल संवर्ग में यह देखा जायेगा कि कितने पद आरक्षित श्रेणी से भरे हैं और जो पद भर्ती के लिए शेष बचे हैं, उन पर भर्ती उक्त आंगणन करने के पश्चात् ही की जायेगी।

(3) आरक्षण अधिनियम के यथासंशोधित उपबन्ध के अनुसार आरक्षित पदों की गणना संवर्ग में उपलब्ध पदों की कुल संख्या के आधार पर करके यह देखा जायेगा कि किस आरक्षित श्रेणी के कितने पद पहले से भरे हैं तथा किस-किस आरक्षित श्रेणी से भरे जाने वाले कितने-कितने पद अवशेष हैं। जिस आरक्षित श्रेणी को जितने अवशेष पद दिये जाने हैं उतने पदों पर उसी श्रेणी के अभ्यर्थी में से भर्ती की जायेगी। चूँकि आरक्षण का प्राविधान पहले से ही है अतः अब रोस्टर बनाते समय पहले से आरक्षण के आधार पर नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को क्रम-संख्या-1 से आगे यथा स्थान रोस्टर में रख दिया जायेगा। तत्पश्चात् यह ज्ञात हो जायेगा कि किस आरक्षित वर्ग को अब कितना पद दिया जाना है एवं तद्नुसार सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

(4) आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा अनुसूचित जातियों को दो भागों में तथा अन्य पिछड़े वर्ग को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ग से चयन करने के लिए उसके प्रत्येक भाग की अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनाकर चयन किया जायेगा।

(5) यदि किसी संवर्ग में तीन पद हैं और वर्तमान में एक रिक्त है तो उसे एकल पद नहीं माना जायेगा, क्योंकि संवर्ग में तीन पद हैं। एकल पद का तात्पर्य यह है कि संवर्ग में मात्र एक ही पद हो। ऐसे एकल पद पर आरक्षण प्रवृत्त नहीं होगा और इस पद पर सामान्य वर्ग से नियुक्ति की जायेगी।

(6) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1997, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1999 तथा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1999 द्वारा किये

गये संशोधनों के अनुसार लोक सेवाओं और पदों में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को .क सम्मुख अंकित प्रतिशत में आरक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है :–

(1) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए	रिक्तियों का 2%
(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए	रिक्तियों का 5% (समूह "क" एवं "ख" की रिक्तियों के सिवाय
(3) (क) दृष्टिहीनता/कम दृष्टि से ग्रसित व्यक्तियों के लिये	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदों में रिक्तियों का 1%
(ख) श्रवणह्रास से ग्रसित व्यक्तियों के लिए	–तदैव–
(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित व्यक्तियों के लिए	–तदैव–

उपर्युक्त आरक्षण हारिजन्टल होगा। अर्थात् यदि उपर्युक्त वर्गों में से किसी वर्ग का चयनित अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का हो तो उसे अनुसूचित जाति के कोटा में, यथा आवश्यक समायोजन करते हुये, रखा जायेगा। यदि वह अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति का हो तो उसे अनुसूचित जनजाति के कोटा में, यथा आवश्यक समायोजन करते हुये, रखा जायेगा। यदि वह अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटा में, यथा आवश्यक समायोजन करके, रखा जायेगा यदि वह खुली प्रतियोगिता वाली कटेगरी अर्थात् सामान्य वर्ग का हो तो उसे उस वर्ग में, यथा आवश्यक समायोजन करके, रखा जायेगा।

यदि कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत किया जायेगा।

(7) यह भी कहना प्रासंगिक होगा कि विभिन्न विभागों से सीधी भर्ती के प्रक्रम पर शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 1999 द्वारा महिलाओं के लिए दिये गये 20 प्रतिशत के आरक्षण के सम्बन्ध में अनेक जिज्ञासायें की जा रही हैं। महिलाओं को दिये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेश संख्या 18/1-99-का–2-99, दिनांक 26 फरवरी, 1999 की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए दिनांक 30 अगस्त, 1999 को एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था है :–

(क) आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा, पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा।

(ख) आरक्षण हारिजन्टल प्रकृति का होगा, अर्थात् किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद का महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी, उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(ग) यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो भी उसकी गणना उस पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी।

(घ) राज्याधीन लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके तो यह पद उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

(ङ) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी अर्हतायें, पद सम्बन्धी सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पूर्ववत् अर्हताओं के अनुरूप रहेगी व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(च) लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित (लोक सेवाओं और पदों) से है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उपर्युक्तानुसार आरक्षण सम्बन्धी निदेशों को ध्यान में रखा जायेगा एवं तद्नुसार आरक्षित वर्गों को आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
डा० हरिकृष्ण,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 15 सा० नियुक्ति—2-11-2001—(1318)—2001—2,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।